

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/47/2016-अ.भा.से.-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 23 जून, 2017

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर और तमिलनाडु राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा श्री आर. सुधन, आईएएस (एमएन:2006) को वैयक्तिक आधार पर मणिपुर संवर्ग से तमिलनाडु संवर्ग में, कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्त के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)